भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2467
जिसका उत्तर दिनांक- 10/08/2021 को दिया जाना है

माल और सेवा कर (जीएसटी) प्रतिकर उपकर कोष

2467 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कम जमा के रूप में चिह्नित की गई 47,272 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को विधिवत रूप से संचित रूप में अंतरित की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख)- यह राशि क्षतिपूर्ति निधि में पहले ही अंतरित कर दी गई है, कुछ वर्ष 2019-20 के दौरान और कुछ वर्ष 2020-21 के दौरान।

*****